निगम करो का भुगतान नही तो कुर्क होगा भवन

भिलाईनगर। निगम भिलाई ने अपने बकाया विभिन्न करो की वसूली के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, लम्बे समय से सम्पत्तिकर, जलकर, भू-भाटक नहीं पटाने वालो के विरूद्ध कुर्की वारंट जारी कर सील बंद की तैयारी कर रहा है।

निगम आयुक्त देवेश कुमार ध्रुव ने राजस्व वसूली की समीक्षा करते हुए कहा है कि नगर के बड़े बकायादार जिनको नगर पालिक अधिनियम 1956 की धारा 173, 174 की नोटिस जारी किया जा चुका है , उसके बाद भी लंबित राशि का भुगतान भवन स्वामी द्वारा नहीं किया गया है तो , उसके विरूद्ध कुर्की की कार्यवाही प्रस्तावित कर प्रस्तुत करें। उन्होने शहर के दुकानदार तथा मकान मालिक द्वारा प्रस्तुत स्वविवरणी का निगम द्वारा कराये गये सत्यता जाॅच में अंतर पाये जाने पर सुभाष नगर फल मार्केट , विजय काॅम्पलेक्स के दुकानदार तथा हाउसिंग बोर्ड के मकान मालिक के विरूद्ध छत्तीसगढ़ नगर पालिका भवनो/भूमियों के वार्षिक भाड़ा मूल्य का अवधारण नियम 1997 के नियम 11 छत्तीसगढ़ नगर पालिका भवन के कर योग्य संपत्ति मूल्य का निर्धारण नियम 2021 के नियम 14 के अंतर्गत नोटिस जारी किया है। नोटिस मे भवन मालिक को बताया गया है कि प्रस्तुत स्व निर्धारण प्रपत्र में दी गई जानकारी असत्य पाई गई है एवं देय वास्तविक कर की रकम से कम राशि का भुगतान किया गया है। इस तरह 5 करदाता द्वारा प्रस्तुत स्व निर्धारण फार्म का परीक्षण उपरांत अंतर की राशि 10 प्रतिशत से अधिक होने के कारण 5 गुणा शास्ति राशि अधिरोपित करते हुए पाॅच करदाता से 22 लाख 41 हजार 9 सौ उन्नीस रूपये 7 दिवस के भीतर जमा करने को कहा गया है। निर्धारित समय पर निगम को देय कर राशि का भुगतान भवन मालिक द्वारा नही किये जाने पर निगम प्रशासन द्वारा नियमानुसार कार्रवाही किया जाएगा।

आयुक्त ने बैठक मे सफाई व्यवस्था, प्रारंभ एवं प्रगतिरत निर्माण कार्य , पेयजल आपूर्ति के जल वाहनी के लिकेज का संधारण, ग्रीष्म ऋतु पूर्व पेयजल आपूर्ति की तैयारी ,महतारी वंदन योजना , प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, आवास योजना, सहित अन्य कार्यों का सिलसिलेवार समीक्षा किये बैठक मे अपर आयुक्त , उपायुक्त, अधीक्षण अभियंता, जोन आयुक्त, कार्यपालन अभियंता, सभी विभाग प्रमुख उपस्थित रहे।